कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-20.06.2025

विषय:- फिरौती के लिये युवक का अपहरण व हत्या किये जाने के मामले का अनावरण, थाना शिवपुर पुलिस ने वांछित अभियुक्त रोहित पटेल किया गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा हत्या/लूट/अपहरण आदि घटनाओं के अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट के कुशल नेतृत्व में थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-151/2025 धारा 140(1)/238/103 बीएनएस से सम्बन्धित घटना का अनावरण करते हुए घटना से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रोहित पटेल पुत्र मुन्ना पटेल निवासी सरसवां थाना शिवपुर वाराणसी को उन्दी सरसवां से गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त रस्सी, दाहिने पैर का सैण्डिल व मानव शरीर के हड्डी के टुकड़े बरामद किये गये। बरामद हड्डी के टुकड़ों को डीएनए मिलान हेतु भेजते हुए थाना शिवपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

एक विशेष खोजीदस्ता को घटनास्थल व उसके आसपास निरन्तर भ्रमणशील रहकर घटना से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों के संकलन की कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त का पीसीआर लेकर भी साक्ष्य संकलन की कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

घटना का विवरण –

थाना शिवपुर में पंजीकृत मु.अ.सं.- 151/2025 धारा 140(1)/238/103 बीएनएस के वादी मुकदमा नितेश ने लिखित प्रा.पत्र दिया कि मेरा छोटा भाई शशांग सिंह जो अपने मित्र रोहित पटेल के साथ घर से बाइक पर बैठकर गया था वापस नहीं लौटा है तथा शशांग के मोबाइल से जरिये व्हाट्सअप तीन लाख रुपये फिरौती सम्बन्धित धमकी भरा मैसेज प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर थाना शिवपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवरण पूछताछ-

पूछताछ करने पर अभियुक्त रोहित पटेल ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि शशांग मेरे बचपन का दोस्त था, मुझे पता चला था कि शशांग के पिता ने अपनी जमीन एक बेची है, जिससे उन्हें काफी मात्रा में पैसे मिले हैं और अपना घर भी बनवा रहे हैं। पैसे के लालच में मैं शशांग का अपहरण करके उसके घर से पैसा लेना चाहता था, मैने दिनांक 31.03.2025 को शाम को शशांग को फोन किया वह नही आया तो मै उसी दिन शाम को शशांग को उसके घर से अपनी गाडी पर बिठाकर उन्दी गांव की सुनसान जगह पर खेत मे लेकर गया और वहां मैने बीयर

पी शशांग को पूछा तो उसने मना कर दिया, फिर मैंने उससे पैसे के लिए बोला तो उसने मना कर दिया और शीशम के पेड के सहारे खडे होकर मोबाइल चलाने लगा तो मै अपनी गाडी मे रखी रस्सी लेकर आया और अचानक उसके गले मे कसकर पेड के सहारे गला घोंट कर मार दिया तथा उसकी लाश को छिपाने के लिए सरपत मे फेंक दिया था। घटना कारित करने के तुरन्त बाद अपने आप को बचाने के लिये मैं शशांग के घर वालों के साथ उनके खेत में भी मौजूद रहा और उनके साथ एफआईआर लिखवाने के लिये भी गया था जिससे मुझ पर कोई शक न कर सके।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रोहित पटेल पुत्र मुन्ना पटेल निवासी सरसवां थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 0151/2025 धारा-140(1)/238/103 बीएनएस थाना शिवपुर कमि0 वाराणसी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष राजू कुमार,वरिष्ठ उ0नि0 सुनील कुमार यादव, उ0नि0 धनन्जय यादव, उ0नि0 पवन जायसवाल, उ0नि0 गौरव सिह, हे0का0 शिवगोविन्द , का0 यशवन्त यादव थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी